प्राप्त के सूचना अनुसार कम्युनिस्ट (मार्क्स०) पार्टी का उग्रपन्थी दल, जिसनें नक्सलबाड़ी कृषक संग्राम सहायक समिति का आयोजन किया था, लोगों को धान की फसल जबरदस्ती काट लेनें के लिये भड़का रहा था। 'किसान संस्था' नामक कोई संस्था नजर में नहीं आई।

(ख) गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में 'गंडासा पार्टी' नामक एक युवक-संस्था के अक्तूबर 1967 में बनने की सूचना मिली और बाद में दुबारा इसका नाम 'नवजीवन मोर्चा' रखा गया। इस पार्टी का उद्देश्य शोषितों को सहायता देने के लिये और समाज में विद्यमान वर्गीकरण के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष भड़काना है।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने निवारक निरोध अधिनियम तथा विधि के अन्य विशेष उपबन्धों के अन्तर्गत निवारक कार्यवाही कर ली है। 'नवजीवन मोर्चा' की कार्यवाहियों पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म निगरानी रखी जा रही है।

स्वतंत्रता सेनानियों को वित्तीय सहायता

4004. श्री रा० कृ० सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगाल सरकार द्वारा 1931 से 1941 की अवधि में आतंकवादी दमन अधिनियम के अन्तर्गत दंडित व्यक्तियों के परिवारों को वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). अगर माननीय सदस्य सम्बन्धित परिवार के सदस्यों के नाम तथा अन्य जानकारी दे सकें तो सरकार यह बता सकेगी कि क्या उन्हें कोई आर्थिक सहायता दी गई है।

खेलों पर खर्च

4005. श्री विभूति मिश्र : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने खेलों पर कितना धन खर्च किया है;

(ख) कुल नियत धन-राशि में से खेलों के सम्बन्ध में विदेशों में दौरों पर कितना धन खर्च किया गया है;

(ग) हमारे देश में विदेशी खेलों पर कितना धन खर्च किया गया है;

(घ) खेलों पर कितना धन खर्च किया गया; और

(ङ) क्या कबड्डी, मल्लयुद्ध, गुली-डण्डा, दौड़ आदि देशी खेलों पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 53,59,021 रुपये।

(ख) 9,71,554 रुपये।

(ग) विदेशी खेल—46,83,738 रु०। इसमें 6,45,159 रुपये की वह रकम शामिल नहीं है जिसे किसी श्रेणी के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से निश्चित करना संभव नहीं है।

(घ) 30,124 रुपये।

(ङ) जी नहीं।

PURCHASE OF PROPERTY IN JAMMU AND KASHMIR STATE

4006. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a citizen of Jammu and Kashmir State is permitted to purchase property in the rest of India and settle down there;

(b) if so, whether the reciprocal facility is allowed to the citizens of other States to acquire property in the Jammu and Kashmir State and settle down there; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) to (c). There is no provision in the Constitution of India which prohibits Indian citizens who are residents of the State of Jammu and Kashmir